न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

मुन्तकिली प्रकरण संख्या 102/2019 (RCMS : 2019/00184) अनवान 1.मनजीत सिंह पुत्र इन्द्र सिंह जाति राजपूत सिंख, निवासी 18 एफएफ तहसील करणपुर जिला श्रीगंगानगर बनाम 1. मनभीर सिंह 2 कुलदीप सिंह पुत्रगण भाग सिंह उर्फ भागा सिंह जाति जटसिख निवासी 12 एफ एफ तहसील करणपुर जिला श्रीगंगानगर 3. भाग सिंह पुत्र तेजा सिंह जाति जटसिख निवासी 12 एफ एफ तहसील करणपुर जिला श्रीगंगानगर 4. सुखविन्द्र सिह पुत्र जोगेन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी 15 एफ एफ तहसील करणपुर जिला श्रीगंगानगर 5. बलराज सिहं पुत्र जोगेन्द्र सिह जाति जटसिख निवासी 15 एफ एफ तहसील करणपुर जिला श्रीगंगानगर 6. परमजीत सिह पुत्र जोगेन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी 15 एफ एफ तहसील करणपुर 7. हरपाल सिंह पुत्र जोगेन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी 15 एफ एफ तहसील करणपुर जिला श्रीगंगानगर 8. पीठासीन अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

23.09.2019

प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित है। मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी ने यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर के न्यायालय में लंबित प्रकरण सं. 15/2016 अनवानी मनभीर सिंह बनाम मनजीत सिंह आदि अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना व्यक्त कर प्रकरण अन्यत्र सक्ष्म न्यायालय में मुन्तकिल करने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया था। चूंकि अब तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है। इसलिए यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन हो गया है। अतः इसी आधार पर यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज करने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन होने के कारण खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 23.09.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवप्रसाद एम. नकाते)

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर